न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 68212/2016(120/2009)

प्रविष्टि दिनांक– 11.06.2018

उनवान

1. रामकल्या पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
2. राजा श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
3. कंचन पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
4. सीता पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
5. धापू पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।

वादीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
2. बद्री पुत्र श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
3. ~~मुलाब पत्नि श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक(मृतक)~~
4. प्रभाती देवी पत्नि भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
5. भूलालदेवी पत्नि रोडूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लहन तहसील व जिला टोंक।
6. कान्ती पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
7. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन वकील वादीगण
श्री रजनीश यादव वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद बाबत् उद्घोषणा, खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 26/02/2021

वाद पत्र का सार इस है कि आराजी खसरा नम्बर 69/1, 516/1, 538/1, 818/1 ,826/1, 848/2, 855/1, 869/1, 984/1, 987/1, 1017/1, 968/1, 983/1 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव 69/3,516/3538/3818/3,826/3848/3, 855/3 869/3 984/3 987/3, 1017/3,968/3 9983/3 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 69/2, 516/2, 538/2, 818/2, 826/2, 848/1, 855/2 869/2, 984/2 987/2, 1017/2 968/2 983/2 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक में स्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 व, 4 व 5 के नाम अंकन है। उक्त खसरा नम्बरान में से प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 व 5 को बेचान कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम अंकन हुआ है। पूर्व में उक्त सम्पूर्ण आराजीयात श्योकरण पुत्र नृसिंह जाति ब्राहम्ण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उनकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम अंकित हुई थी। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्वर्गीय श्योकरण पुत्र नृसिंह के वारिसान है। नियमानुसार श्योकरण की मृत्यु के उपरांत जरिये विरासत का नामांतकरण खूला उसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 6 के नाम का भी अंकन होना चाहिए था परंतु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने जान बूझकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 6 के नाम का अंकन विरासत के नामांतकरण में नहीं कराया।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

वादी प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है :-

श्योकरण

|

|----- |----- |----- |----- |---- |---- |----- |----- |

हरिराम बद्री रामकन्या राजा कंचन रीता कांती धापू गुलाब(बेवा)

उक्त सजरे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 6 स्व. श्योकरण के वारिसान है। उक्त वर्णित आराजी सम्पूर्ण प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के नाम तकारामा होने पर पृथक पृथक नम्बर अंकित कर रकबा अंकित किया गया है तकारामा नहीं होने से पूर्व उक्त सम्पूर्ण आराजीात हरिराम पुत्र श्योकरण हि. 1/3 , बद्री पुत्र श्योकरण व गु. गुलाब पत्नि श्योकरण हि0 2/3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने प्रतिवादी सं. 3 गुलाब के हिस्से की रजिस्ट्री अपने हक में बिना गुलाब को प्रतिफल राशि दिये साजिशी पूर्वक करवा ली। प्रतिवादी सं. 4 व 5 प्रतिवादी सं. 2 की पुत्र वधुऐं है। उक्त विक्रयपत्र तस्दीक करवाने में प्रतिवादी सं. 2 ने भी साजिशी रूप से सहयोग किया है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 ता 5 भली भांति जानते थे कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं. 6 का भी समान रूप से अधिकार था। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय की जारी की जावे कि वादपत्र के चरण सं. 1 में वर्णित आराजीयात जो स्व. श्योकरण द्वारा छोडी गयी है में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 (प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपना हिस्साा प्रतिवादी सं. 4 व 5 को बेचान कर दिये जाने के कारण) के साथ साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप वादीगण का नाम भी खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन कराया जावे राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम हटाया जावे। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 5 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से किया जावे कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 वादपत्र के चरण संख-1 में वर्णित आराजीयात को किसी भी प्रकार से रहन, दान, बेचान अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें ओर न किसी दस्तावेज का पंजीयन करावें।

वादिया ने अपने वाद में अंकित बिन्दुओं को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजात-जमाबन्दी संवत-2064-67, खाता सं0 280, वाके ग्राम लहन, जमाबन्दी खतोनी सेटलमेटन-2047 आदि पेश किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण जरिये वकील उपस्थित हुये किन्तु अनेकों अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने से न्यायहित में जवाब बन्द किया गया।

वादिया ने अपने पक्ष में पीडब्ल्यू-1 रामकन्या स्वंय का शपथ-पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात श्योकरण पुत्र नृसिंह जाति ब्राहम्ण के नाम अंकित थी। उक्त सजरे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 6 स्व. श्योकरण के वारिसान है। उनकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम अंकित हुई, वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्वर्गीय श्योकरण पुत्र नृसिंह के वारिसान है। नियमानुसार

अधिकारी
(राज0)

श्योकरण की मृत्यु के उपरांत जरिये विरासत का नामांतकरण खूला उसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 6 के नाम का भी अंकन होना चाहिए था परंतु प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने जान बूझकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 6 के नाम का अंकन विरासत के नामांतकरा में नहीं कराया। जिसकी वह हकदार थी। वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण के हक में डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 69/1, 516/1, 538/1, 818/1 ,826/1, 848/2, 855/1, 869/1, 984/1, 987/1, 1017/1, 968/1, 983/1 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव 69/3,516/3538/3818/3,826/3848/3, 855/3 869/3 984/3 987/3, 1017/3,968/3 9983/3 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 69/2, 516/2, 538/2, 818/2, 826/2, 848/1, 855/2 869/2, 984/2 987/2, 1017/2 968/2 983/2 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 (प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 व 5 को बेचान कर दिये जाने के कारण) के साथ साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता कर आदेशित किया जाता है कि इसी अनुरूप वादीगण का नाम भी खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में से वादिया के हक व हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, दान, बेचान अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें ओर न ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होने तक किसी दस्तावेज का पंजीयन करावें। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज **दिनांक** 21/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0 आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. रामकल्या पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
2. राजा श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
3. कंचन पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
4. सीता पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
5. धापू पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।

वादीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
2. बदी पुत्र श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
3. ~~मुलम पत्नि श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक(मृतक)~~
4. प्रभाती देवी पत्नि भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
5. भूलालदेवी पत्नि रोडूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
6. कान्ती पुत्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक।
7. तहसीलदार टोंक, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री पवनकुमार जैन वकील वादीगण
श्री रजनीश यादव वकील प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 68212/2016(120/2009)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण के हक में डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 69/1, 516/1, 538/1, 818/1 ,826/1, 848/2, 855/1, 869/1, 984/1, 987/1, 1017/1, 968/1, 983/1 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव 69/3,516/3538/3818/3,826/3848/3, 855/3 869/3 984/3 987/3, 1017/3,968/3 9983/3 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 69/2, 516/2, 538/2, 818/2, 826/2, 848/1, 855/2 869/2, 984/2 987/2, 1017/2 968/2 983/2 कुल किता–13 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम लहन तहसील व जिला टोंक में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 (प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपना हिस्साा प्रतिवादी सं. 4 व 5 को बेचान कर दिये जाने के कारण) के साथ साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता कर आदेशित किया जाता है कि इसी अनुरूप वादीगण का नाम भी खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 4 व 5 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में से वादिया के हक व हिस्से की भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, दान, बेचान अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें ओर न ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होने तक किसी दस्तावेज का पंजीयन करावें। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27/02/2021. को जारी किया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीशान			मिजान		

नोट:–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।